न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 86 / 2011 / अपील

1 मेवा देवी पत्नी पोखरमल जाति माली निवासी सलोदीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2 रूपनारायण पुत्र पोखरमल
3 सुमन पुत्री पोखरमल
नाबालिग जिरये प्राकृतिक संरक्षिका माता मेवा देवी पत्नी पोखरमल निवासी सलेदीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज

अपीलान्ट

बनाम

1 बाबुलाल पुत्र घड़सीराम जाति सैनी निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
2 पोखरमल पुत्र कानाराम जाति सैनी निवासी सलोदीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3 पटवारी हल्का केरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 307 दिनांक 19.03.2011 ग्राम द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार सरोज
वकील रेस्पोडेंट श्री मोहन सिंह मूण्ड

दिनांकः—12.07.2019

निर्णय

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि खसरा नं. 713 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नं. 714 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नं. 715 रकबा 1.16 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 हैक्टर तन ग्राम सलोदीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है उक्त पैतृक सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीया के ससुर कानाराम सैनी के नाम अंकित थी तथा कानाराम की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया व उसके पुत्र, पुत्रिया व पिता पोखरमल काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थीया के पति पोखरमल प्रतिवादी संख्या 2 दीगर व्यक्तियों के बहकावे मे आकर उक्त पैतृक सम्पदा के सम्पूर्ण हिस्से का बेचान बिना किसी विधिक आधार के प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रियों के हिस्से को भी बेचान कर दिया तथा नामान्तकरण संख्या 307 दिनांक 25.03.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। प्रार्थिया को उक्त कृषि भूमि के विक्रय किये जाने का अन्देशा होने पर प्रार्थीया ने ए.सी.एम. खण्डेला के यहां दावा व टी.आई. उनवानी मेवा देवी बनाम पोखरमल टी आई उनवानी मेवा देवी बनाम पोखरमल टीआई संख्या 155 / 2010 दिनांक 26.10.10 को प्रस्तुत किया गया तथा अस्थाई आवेदन में अप्रार्थीगण को भूमि खसरा नं. 713, 714, 715 कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 हैक्टर तन ग्राम सलोदीपुरा के रिकार्ड को अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार उक्त भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 26.10.2010 की अपील दिनांक 16.03.2011 को प्रस्तुत कर उसी दिन राजस्व अपील अधिकारी सीकर से उक्त आदेश दिनांक 26.10.10 की कियान्तिति को स्थगित किये जाने एवं अधिनस्थ न्यायालय को दोनो पक्षो को सुनकर अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश की आड में दिनांक 25.03.2011 को उक्त नामान्तकरण गलत रूप से राजस्व अधिकारियों से साज करके तस्दीक करवा लिया गया। उक्त विवादित भूमि बाबत न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने तथा इसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को होने के बावजूद गलत रूप से उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण खोले जाने बाबत किसी भी न्यायालय द्वारा आदेश नही दिये जाने एवं न्यायालय में उक्त विवादित भूमि बाबत वाद लम्बित रहने के बावजूद नामान्तकरण खोला जाना विधि विरूद्ध है। विवादग्रस्त आराजिया पर आज भी प्रार्थीया व उसके पुत्र व पुत्रियां काबिज होने के बावजूद बिना कोई जांच किये मनमाने आधार पर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया जाना अंकित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय में उक्त विक्रय पत्र विवादित होने एवं क्रेता अप्रार्थी संख्या 2 को अपने हिस्से की भूमि को ही बेचे जाने का अधिकार होने के बावजूद सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र किया जाकर उसे गलत रूप से तस्दीक करवाया जाकर उक्त नामान्तकरण खोला गया है। पटवारी हल्का केरपुरा को उक्त प्रकरण विवादित होने की जानकारी होने के बावजूद गलत रूप से जांच की जाकर नामान्तरण खोले जाने बाबत कार्यवाही की गई है। विवादित भूमि का विवाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होने के दौरान उक्त नामान्तरण खोले जाने के कारण उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 304 दिनांक 25.03.2011 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में अपीलाधीन नामान्तकरण पर सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.08.2010 को जरिये रजिस्ट्री बेचान होने से क्रेता के हक में नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा जांच हेतु भिजवाने के पश्चात् भू.अ.निरीक्षक खण्डेला द्वारा दिनांक 08.09.2010 को नामान्तकरण में मुताबिक जमाबन्दी इन्द्राज दुरूस्त बाबत रिपोर्ट अंकित की हुई है। तत्पश्चात् दिनांक 18.03.2011 को उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अनुवानी मेवा देवी बनाम पोखरमल मु.न. 155/2010 में आदेश दिनांक 26.10.2010 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 713, 714, 715 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 है0 तन ग्राम सलेदीपुरा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया गया है। न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के आदेश दिनांक 26.10.2010 के विरूद्व न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के न्यायालय में आवेदन 225 अनुवानी बाबूलाल बनाम मेवादेवी मु.न. 28/2011 में आदेश दिनांक 16.03.2011 पारित कर न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के आदेश दिनांक 26.10.2010 की कियान्विति को स्थगित कर दिया गया तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वह दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित करें, पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 18.04.2011 को उपस्थित होवें। चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 18.03.2011 को स्वीकृत किया गया है। न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा दिनांक 26.10.2010 को भूमि खसरा नम्बर 713, 714, 715 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 है0 तन ग्राम सलेदीपुरा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेत पारित आदेश के विरूद्व न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2011 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के आदेश दिनांक 26.10.2010 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने बाबत पारित कर दिया गया। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.03.2011 के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के द्वारा रिकार्ड की यथास्थिति बाबत पारित आदेश दिनांक 26.10.2010 की क्रियान्विति स्थगित किये जाने से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात पर दिनांक 16.03.2011 के पश्चात् एवं दिनांक 18.03.2011 को किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मेमों के बिन्दु संख्या 2 में यह भी अंकित किया है कि विवादग्रस्त आराजियात बाबत सहायक कलक्टर खण्डेला के न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत कर रखा है। इस स्थिति में अपीलार्थी अपना पक्ष सक्षम न्यायालय (सहायक कलक्टर खण्डेला) में दौराने वाद विचारण रख सकते है। अतः सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन रहते हुए केवल मात्र नामान्तकरण को चुनौती देना विधि सम्मत एवं न्याय संगत नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official